न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

राजस्व विविध :: 141/2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/355

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी :-
राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण		श्री जब्बरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी सिणला, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री इरफान बेग, नायब तहसीलदार अवकाश रक्षित
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोलंकी

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 07.06.2022

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने यह राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन दिनांक 28.04.1976 को खसरा संख्या 610 रकबा 11-04 किस्म बा.दो. भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु पेश किया गया जिसमें इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 04/2019 सरकार बनाम जब्बरसिंह दर्ज रजिस्टर कर बाद नियत सुनवाई दिनांक 22.02.2021 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 28.04.1976 को ग्राम सिणला के खसरा संख्या 610 रकबा 11.04 बीघा का आवंटन निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी जब्बरसिंह द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2021 को निर्णय पारित कर अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण इस न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाकर अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो विधिक परीक्षणोपरान्त नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है। अतः पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वक्त बहस सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अप्रार्थी जब्बरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी सिणला तहसील जैतारण जिला पाली को आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा सरहद मौजा सिणला पटवार मण्डल डिगरना में दिनांक 28.04.1976 को खसरा संख्या 610 रकबा 11.04 किस्म बा.दो. भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन आदेश उपलब्ध नहीं होने से आवंटन सलाहकार समिति के कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रति संलग्न है। अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन शर्तों के साथ कृषि कार्य हेतु आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर गैर कृषि कार्य (अवैध खनन) कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जिसका अप्रार्थी को अधिकार नहीं है मौके के फोटोग्राफ संलग्न है। उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा गैर कृषि कार्य (अवैध खनन) कर आवंटन/नियमन शर्तों की नियमानुसार पालना नहीं की गई है एवं

आवंटन/नियमन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः नियमानुसार आवंटन निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस सरकारी पैरोकार की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल कारित की है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अप्रार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया गया, जो कि प्राकृतिक/नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार जैतारण द्वारा अप्रार्थी को बिना बताये एकतरफा रिपोर्ट तैयार कर पेश की है एवं प्रस्तुत रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ को ही आधार मानते हुए प्रार्थी के 45 वर्ष पुराने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन को खारिज कर दिया गया। अपीलाण्ट के नाम से वक्त आवंटन से लगाकर आदिनांक तक मौके पर कृषि कार्य किया जा रहा है, जिसकी ताईद हल्का पटवारी द्वारा जारी गिरदावरी संवंत 2030 से संवंत 2075 तक के अवलोकन से साबित होती है तथा तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण दर्ज करने से पूर्व खनन कार्य करने बाबत् अप्रार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया न ही कोई विधिक कार्यवाही की गई, जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैध खनन कार्य किया गया है। अप्रार्थी द्वारा कभी भी अवैध खनन अथवा अकृषि कार्य कभी नहीं किया गया है जिसकी तस्दीक पटवारी हल्का की ओर से जारी गिरदावरी रिपोर्ट से स्वतः स्पष्ट हो जाती है। अतः प्रार्थी सरकार का प्रार्थना पत्र उक्त आधारों पर खारिज किया जावे।

पत्रावली में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य बिन्दु यह है कि आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने से संबंधित है।

उभय पक्षों की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन एवं मनन किया गया। उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 22.02.2021 से अप्रार्थी श्री जब्बरसिंह का खसरा संख्या 610 रकबा 11.04 बीघा का आवंटन शर्तों की अवहेलना करने के कारण आवंटन निरस्त किया गया। जिसकी अपील अप्रार्थी द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने निम्न निर्णय पारित किया कि "अप्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा अपना पक्ष/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये ही एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट को वर्ष 1976 दिनांक 28.04.1976 में किये गये कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन को निरस्त कर दिया गया। दोयम अपीलाण्ट के उक्त वादग्रस्त भूमि के निरंतर जारी गिरदावरी का अवलोकन नहीं किया गया एवं प्रकरण में बनाई गई अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई मौका रिपोर्ट पटवारी के द्वारा प्रस्तुत की गई, के आधार पर उसको आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त कर दिया गया, जो आवंटन नियमों/शर्तों की पालना हेतु तय अवधि के पश्चात पालना नहीं करने पर आवंटन निरस्त करने हेतु विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर मनन करने एवं उपरोक्त समस्त परीक्षणों के मध्यनजर तथा प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय है कि अपीलाण्ट के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त करने से पूर्व उसका पक्ष जानने/सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना कानुनन आवश्यक होता है। अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर प्रकरण जिला कलक्टर पाली को पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील–अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण जिला कलक्टर पाली को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त परीक्षणों को मध्य–नजर रखते हुए प्रकरण में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो तो विधिक परीक्षण उपरान्त पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करे साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अंतिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे"।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस से न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2021 को अपने आदेश में आवंटी को नहीं सुना गया साथ ही तहसीलदार जैतारण द्वारा राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते वक्त मूल आवंटन आदेश दिनांक 28.04.1976 की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई, मात्र उपखण्ड कार्यालय जैतारण के कार्यवाही रजिस्टर की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें अप्रार्थी का नाम क्रम संख्या 28 पर श्री जब्बर सिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत उल्लेखित है। उक्त रजिस्टर में आवंटन शर्तों का कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि अप्रार्थी द्वारा कौनसी शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इस न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी रिपोर्ट को आधार मानते हुए अप्रार्थी को बिना सुने दिनांक 28.04.1976 (लगभग 45 वर्ष पुराने) के आवंटन को निरस्त कर दिया जो उचित प्रतीत नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा आवंटन शर्तों के उल्लंघन हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट में भी अप्रार्थी को सुने जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरियों की नकले संवंत 2030 से संवंत 2075 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर लगातार कृषि कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर लगभग 45 वर्षों से लगातार कृषि कार्य करने के बावजूद (गिरदावरी अनुसार) केवल पटवारी रिपोर्ट एवं मौके के फोटोग्राफ के आधार पर लगभग 45 वर्ष पुराने आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को संसाधनों का उपयोग कर कृषि योग्य बनाई गई है एवं इस प्रकार समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किये बिना (गिरदावरी एवं मूल आवंटन आदेश) एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये आवंटन आदेश दिनांक 28.04.1976 को निरस्त करने से अप्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा अनावश्यक वाद भी बढ़ेंगे।

अतः समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2021 को अपास्त किया जाकर प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है एवं अप्रार्थी श्री जब्बर सिंह पुत्र सोहनसिंह के पक्ष में ग्राम सिणला के खसरा संख्या 610 रकबा 11.04 बीघा किस्म बारानी दोयम को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति तहसीलदार जैतारण को प्रेषित की जावें।।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली